रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 30 सितम्बर, 1987/8 आश्विन, 1909

### हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 19 सितम्बर, 1987

संख्या 7-2/74-इलैक-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज ऐक्ट, 1968 (1970 का 19) की धारा 187 के साथ पठित धारा 163 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रारूप-नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और ये जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इन नियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन के पश्चात् विचार किया जायेगा।

2182-राजपत्र/87-30-9-87—1,252 (1915) मूल्य : 20 पैसे ।

यदि इन प्रारूप-नियमों से प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति इनकी बाबत कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहे, तो वह ऐसा आक्षेप/सुझाव उक्त अवधि के अवसान से पूर्व, सचिव (निर्वाचन), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा। ऐसे प्राप्त किए गए आक्षेपों/सुझावों पर, यदि कोई हो, इन प्रारूप-नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जायेगा।

## प्ररूप-नियम

### भाग–1

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (निर्वाचन) नियम, 1987 हैं।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो:—

(क) "ऐक्ट" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज ऐक्ट, 1968 अभिप्रेत है;
(ख) "लागत" से निर्वाचन याचिका के विचारण पर उपगत या उसके आनुषंगिक समस्त लागत, प्रभार और खर्च अभिप्रेत है;
(ग) "अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया हो या ऐसा किये जाने का दावा करता हो;
(घ) "निदेशक-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा निदेशक निर्वाचन (स्थानीय निकाय) के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियोजित किया गया है;
(ङ) "निर्वाचन" से पंचायत समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के भरे जाने के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है;
(च) "निर्वाचन अधिकार" से अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़ने या न लड़ने या नाम वापस लेने या निर्वाचन में मत डालने या न डालने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है;
(छ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(ज) "अभिवक्ता" से सिविल न्यायालय में दूसरे की ओर से अभिवचन करने या उपसंजात होने के लिए हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अधिवक्ता भी है;
(झ) "पीठासीन अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ञ) "विहित प्राधिकारी" से जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, इन नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी है।

(2) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

### भाग–2

### अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन

3. निर्वाचन की सूचना.—अधिनियम की धारा 63 के खण्ड (बी) के अधीन सदस्यों के सहयोजन के पश्चात् अधिनियम की धारा 68 क उपबन्धों के अनुसार समस्त प्राथमिक और सहयोजित सदस्यों के नाम शासकीय

राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, उन्हें सूचना देकर, जो 72 घण्टे की अवधि से कम होगी और जिसकी तामील उनके सामान्य निवास स्थान पर कराई जाएगी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बैठक करने के लिए, जिसकी अध्यक्षता वह स्वयं या इस नियमित प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी करेगा, तारीख, समय और स्थान नियत करेगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की बाबत कारवाई करने से पूर्व राजनिष्ठा की शपथ बैठक में उपस्थित ऐसे व्यक्तियों को भी दिलाई जाएगी जिन्होंने तत्प्रयोजन के लिए नियत पूर्वोतर बैठक में ऐसी शपथ न ली हो।

4. बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम).—नियम 3 के अधीन नियत बैठक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए गणपूर्ति (कोरम) पंचायत समिति के प्राथमिक और सहयोजित सदस्यों की कुल संख्या का दो-तिहाई होगी :

परन्तु यदि ऐसी बैठक, वांछनीय गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित कर दी जाती है, तो अगली बैठक, सभी प्राथमिक तथा सहयोजित सदस्यों को 72 घण्टे की सम्यक सूचना दिए जाने के उपरांत की जायेगी और ऐसी बैठक में किसी गणपूर्ति की अपेक्षा नहीं की जायेगी और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर दिया जायेगा।

5. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया.—अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, का निर्वाचन, पंचायत समिति के प्राथमिक एवं सहयोजित सदस्यों द्वारा, अपने में से, निम्नलिखित विहित रीति में गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा :—

(1) पीठासीन अधिकारी, प्रस्ताव मंगवाने और बैठक की कार्यवाहियों के अभिलेख में प्रस्तावकों और समर्थकों के नाम लिखित करने के पश्चात् हिन्दी में देवनागरी लिपि में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की वर्णानुक्रम में एक सूची तैयार करेगा। निर्वाचन किए जाने वाले स्थान में सदस्यों की जानकारी के लिए सहज दृष्य स्थान पर, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों को दर्शित करने वाली एक सूची प्रदर्शित की जायेगी। मतदान, पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा नियत तथा घोषित समय पर आरम्भ और समाप्त किया जायेगा। मतपत्र प्ररूप 2 में होंगे और निर्वाचन में, इस्पात की मत-पेटियों का प्रयोग किया जायेगा;

(2) मतदाता को मतपत्र जारी करने से पूर्व, पीठासीन अधिकारी, मतपत्र के पीछे अपने पूरे हस्ताक्षर करेगा और मतपत्रों का पूरा लेखा रखेगा;

(3) मतदाता, मतपत्र प्राप्त कर लेने पर, मतदान-कक्ष में प्रवेश करेगा और वह जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहता हो, उसके नाम के सामने क्रास (×) चिन्ह, लगायेगा;

(4) मतदाता, उक्त खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट रीति में मतपत्र पर चिन्ह लगाने के उपरांत, मतपत्र को इस प्रकार से मोड़ेगा कि उसका मत दिखाई न पड़े और वह मतपत्र, मतपेटी में डालगा और उसके बाद मतदान कक्ष से बाहर चला जायेगा;

(5) जिस मतदाता ने मतपत्र का ऐसी रीति में प्रयोग किया है कि ऐसा मतपत्र विधिमान्य न समझा जा सके वह इस प्रार्थना के साथ मतपत्र को पीठासीन अधिकारी को वापस कर देगा कि उसे दूसरा मतपत्र जारी किया जाये और पीठासीन अधिकारी अपने समाधान पर, मतदाता को दूसरा मतपत्र जारी करेगा और वापस किए गए मतपत्र "खराब तथा रद्द" शब्द चिन्हित करेगा;

(6) यदि मतदाता, मतपत्र प्राप्त करने के उपरांत, इसका प्रयोग न करने का विनिश्चय करता है तो वह इसे पीठासीन अधिकारी को वापिस कर देगा और ऐसे वापिस किए गए मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी, शब्द "वापस-रद्द" अंकित करेगा;

(7) समस्त रद्द किए गए मतपत्रों को पीठासीन अधिकारी एक पृथक पैकट में रखेगा :

यदि केवल एक ही अभ्यर्थी, पद (अध्यक्ष के पद के लिए एक तथा उपाध्यक्ष के पद के लिए एक) के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी, ऐसे अभ्यर्थी को प्ररूप-1 में निर्वाचित घोषित कर देगा और उचित रसीद लेने पर निर्वाचित अभ्यर्थी को इस घोषणा की प्रति का प्रदाय करेगा।

6. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर मतों की गणना.—(1) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मतदान पूरा हो जाने के उपरांत, पीठासीन अधिकारी, गणना के समय उपस्थित अभ्यर्थियों को, मतपेटी का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और इस बात के समाधान पर कि वे अविकल हैं उन्हें मोहरबन्द करेगा। और अध्यक्ष को लिए डाली गई मतों की गणना का कार्य आरम्भ करेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी, मतपेटी को खोलेगा और मतपत्रों को मतपेटी से बाहर निकालेगा और अभ्यर्थी उन्हें अलग रखेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी, मतपत्र को नामंजूर कर देगा, यदि:—

(क) मत, एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया गया है; या
(ख) यदि इस पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता की पहचान हो सके; या
(ग) इस पर कोई मत अंकित न किया गया हो; या
(घ) इस पर मत को सूचित करने वाला चिन्ह इस रीति से लगाया गया हो जिससे शंका उत्पन्न हो जाए कि यह मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है; या
(ङ) यह, अप्रामाणिक मतपत्र है; या
(च) यह इस प्रकार से क्षतिग्रस्त या विखंडित है कि इसकी असली मतपत्र के रूप में पहचान स्थापित न की जा सकती हो।

(4) पीठासीन अधिकारी, किसी भी मतपत्र को अस्वीकार करने से पूर्व, प्रत्येक उपस्थित अभ्यर्थी को, मतपत्र का परीक्षण करने का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करेगा किन्तु इसे किसी अन्य मतपत्र को छू कर देखने की अनुमति नहीं देगा।

(5) पीठासीन अधिकारी, नामंजूर किए गए प्रत्येक मतपत्र पर "आर" अक्षर तथा नामंजूर किए जाने के आधार संक्षिप्त रूप में अपने पूरे हस्ताक्षर सहित स्वयं अभिलिखित करेगा।

(6) इस नियम के अधीन नामंजूर किए गए समस्त मतपत्र एक पृथक ढेरी में रखे जायेंगे।

(7) सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की बाबत मतों की गणना पूर्ण हो जाने के उपरांत, पीठासीन अधिकारी परिणाम तैयार करेगा और अध्यक्ष के पद के लिए प्ररूप-3 में उस अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित कर देगा जिसके पक्ष में सबसे अधिक मत पड़े हों और सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रति, उचित रसीद लेने पर निर्वाचित अभ्यर्थी को देगा:

परन्तु यदि अभ्यर्थियों के बीच बराबर-बराबर मत पाए जाते हैं तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचन का विनिश्चय उनकी उपस्थिति में भाग्य पत्रक द्वारा करेगा और जिन अभ्यर्थियों के पक्ष में भाग्य पत्रक पड़ता है उनके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उन्होंने एक अतिरिक्त मतपत्र प्राप्त किया है और वे निर्वाचित घोषित किए जायेंगे।

(8) इस-नियम के उप-नियम (1) से (7) के उपबन्ध, उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मतों की गणना की बाबत यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

7. घोषणा के उपरांत अभिलेख का मोहरबन्द किया जाना.—परिणाम घोषित किए जाने के उपरांत पीठासीन अधिकारी अस्वीकृत मतपत्रों के बन्डल सहित विधिमान्य मतपत्रों को अभ्यर्थीवार पृथक-पृथक पैकटों में रखेगा जिस पर ऐसे दस्तावेजों की पूरी विशिष्टियां लिपिबद्ध की जायेंगी और ये पकेट उसकी मोहर के साथ मोहरबन्द किए जायेंगे। निर्वाचन सम्बन्धी सभी अन्य कागजात भी पृथक पकटों में रखे जायेंगे और उन पर दस्तावेजों की विशिष्टियां लिपिबद्ध की जायेंगी।

8. बैठक की कार्यवाहियां और निर्वाचन कागजात की सुपुर्दगी.—(1) पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के पूर्ण हो जाने के उपरांत, कार्यवाहियों को, कार्यवाही-पुस्तिका में अभिलिखित करेगा और उन पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी, पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सम्बन्धी अभिलेख, सम्यक् रूप से उसके हस्ताक्षरित प्रति सहित उपायुक्त को या इस निमित लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को परिदत्त करेगा।

9. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की अधिसूचना.—उपायुक्त, बैठक की कार्यवाहियों और परिणाम की घोषणा की प्राप्ति के उपरांत, अधिनियम की धारा 68 के अधीन यथा अपेक्षित पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के नाम शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करेगा।

10. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए द्वितीय बैठक करना.—उपायुक्त, नियम 3 के अधीन संचालित और धारा 68 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से अढाई वर्ष की अवधि के अवसान से एक मास की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (3) के अधीन यथा उपबन्धित पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए द्वितीय बैठक बुलाने के लिए तारीख, समय तथा स्थान नियत करेगा और ऐसा निर्वाचन, इन नियमों में यथा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जायेगा।

11. आकस्मिक रिक्ति.—जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण यथा स्थिति रिक्ति हो जाती है या वह पंचायत समिति का सदस्य नहीं रहता है या उसके स्थान पर नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाना हो तब ऐसा निर्वाचन, इन नियमों के नियम 3 से 9 में विहित रीति में संचालित किया जायेगा।

12. अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निदेश.—(1) पंचायत समिति के निर्वाचन, निदेशक निर्वाचन (स्थानीय निकाय) के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन संचालित किये जाएंगे और इस निमित ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझें।

(2) यदि इन नियमों के निर्वाचन सम्बन्धी कोई आशंका या विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसे निदेशक निर्वाचन, (स्थानीय निकाय) हिमाचल प्रदेश को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

भाग-3

## निर्वाचन याचिकाएं

13. निर्वाचन याचिका का प्रस्तुतीकरण.—(1) पंचायत समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध, अधिनियम की धारा 187 के अधीन याचिका, निर्वाचन के निर्णय की घोषणा की तारीख से बीस दिन के भीतर उपायुक्त के पास की जा सकेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन याचिका के साथ, प्रत्यर्थियों की संख्या के समान, याचिका और इसके अनुलग्नों की प्रतियां लगाई जाएंगी।

14. निर्वाचन याचिका की विषय-वस्तु.—(1) निर्वाचन याचिका में :—

(क) उन तात्विक कथनों का संक्षिप्त कथन, जिन पर याची निर्भर करता हो, होगा और यह

(ख) अभिवचन के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित रीति में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगी।

(2) याचिका की कोई अनुसूची या उपबन्ध भी याचिका वाली रीति में ही याची द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

15. याचिका के साथ प्रतिभूति निक्षिप्त की जाना.—याची, निर्वाचन-याचिका प्रस्तुत करने के समय या उससे पूर्व, विहित प्राधिकारी के नाम जिसको याचिका प्रस्तुत की गई हो, उपयुक्त लेखा शीर्ष के अधीन सरकारी, कोष या उपकोष में प्रतिभूति राशि के रूप में 200 रुपये जमा कराएगा।

16. निर्वाचन याचिका का प्रत्याहरण.—(1) उप-नियम (2) के अधीन रहते हुए, निर्वाचन याचिका, केवल विहित प्राधिकारी की अनुमति से, इस निमित उसे आवेदन करके वापस ली जा सकेगी :

परन्तु निर्वाचन-याचिका के किसी भी आवेदन को, सम्बन्धित पंचायत समिति के पक्ष में प्रतिभूति-निक्षेप के समपहृत किए बिना, वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) वापस लेने के लिए, उप-नियम (1) के अधीन दिए गए आवेदन की दशा में, याचिका से सम्बन्धित पक्षकारों को, आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना की प्रति उपायुक्त तथा सम्बन्धित पंचायत समिति के कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाई जाएगी।

17. निर्वाचन याचिका की खारिजी.—यदि याचिका के प्रस्तुतीकरण के समय, अधिनियम की धारा 187 या नियम 13 या नियम 14 के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो विहित प्राधिकारी, याचिका को खारिज कर देगा :

परन्तु याचिका, याची को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना खारिज नहीं की जाएगी।

18. जांच का स्थान और प्रक्रिया.—(1) निर्वाचन याचिका की जांच विहित प्राधिकारी द्वारा नियत किए जाने वाले स्थान पर की जाएगी, और ऐसी जांच के समय और स्थान की सूचना, सुनवाई के प्रथम दिन के लिये नियत तारीख से पूर्व ऐसी अवधि की जो सात दिन से कम न हो, पक्षकारों को दी जाएगी।

(2) प्रत्येक निर्वाचन-याचिका का विचारण, विहित प्राधिकारी द्वारा यथा शक्य शीघ्र, वादों के विचारण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

19. निर्वाचन अपास्त करने के आधार.—यदि विहित प्राधिकारी की राय है :—

(क) कि निर्वाचन की तारीख को, निर्वाचित व्यक्ति अधिनियम के अधीन निर्वाचित किए जाने के लिए अर्हित नहीं था या निरर्हित था; या

(ख) जहां, निर्वाचित व्यक्ति का सम्बन्ध है उसके निर्वाचन का परिणाम निम्नलिखित से प्रभावित था :—

(i) किसी मत के अनुचित ग्रहण, नामंजूरी या अस्वीकृति, या किसी शून्य मत के ग्रहण;
(ii) अधिनियम या उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुपालन —

तो वह, निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अपास्त कर देगा।

20. निर्वाचन याचिका का उप-शमन.—यदि, निर्वाचन-याचिका की समाप्ति से पूर्व याची या प्रत्यार्थी की मृत्यु हो जाती है तो निर्वाचन याचिका का उप-शमन हो जाएगा। विहित प्राधिकारी, इस घटना की सूचना का प्रकाशन, पंचायत समिति और उपायुक्त कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाकर करवाएगा।

21. निर्वाचन के शून्य घोषित किए जाने पर, नए निर्वाचन का संचालन.—इन नियमों के अधीन जांच के परिणाम के फलस्वरूप, अभ्यर्थी के निर्वाचन के शून्य घोषित किए जाने की दशा में, राज्य सरकार निदेश करेगी कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नए निर्वाचन का संचालन किया जाए।

22. निरसन और व्यावृत्ति.—हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति (इलैक्शन) रूल्ज, 1973 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु ऐसे निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई निदेश या आदेश या की गई कार्रवाई जब तक कि इन नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन क्रमशः किया गया समझा जाएगा या की गई समझी जाएगी।

प्ररूप-1

[नियम 5 (VIII) देखें]

**पद के निर्विरोध होने पर परिणाम की घोषणा**

पंचायत समिति ..... के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन।

हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (निर्वाचन) नियम, 1987 के नियम 5 के खण्ड (VII) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में —

मैं घोषित करता हूं कि (नाम) ..... (पता) ..... पंचायत समिति ..... के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किए गए हैं।

स्थान .....
तारीख .....

.....
बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर।

---

प्ररूप-2

[नियम 5 (1) देखिये]

**मतपत्र**

पंचायत समिति .....

पद के लिए निर्वाचन .....

| क्रम संख्या | अभ्यर्थी का नाम | मतदाता द्वारा, चिन्ह (×) के लिए |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. इत्यादि | | |

प्ररूप-3

[नियम 6 (7) देखें]

पंचायत समिति ..... के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा और उसकी विवरणी।

| क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या :

अस्वीकृत मतों की कुल संख्या :

मैं घोषणा करता हूं कि (नाम) ..... पता .....
..... पंचायत समिति ..... के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित किए गए हैं।

स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी।

प्ररूप-4

[नियम 14 (1) देखें]

**शपथ-पत्र**

मैं, ..... संलग्न निर्वाचन याचिका में, पंचायत समिति ..... जिला ..... के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित श्री ..... के निर्वाचन के प्रश्नगत करने वाला याची, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि संलग्न निर्वाचन याचिका के पैरा ..... और उससे संलग्न अनुसूची के पैरा ..... में किए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

.....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर।

मेरे समक्ष 198 .....के..... दिन को इस स्थान ..... पर श्री/श्रीमती ..... द्वारा सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया/शपथ ग्रहण की गई।

स्थान .....

मैजिस्ट्रेट/शपथ-आयुक्त/नोटरी पब्लिक।

तारीख .....

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

---

[*Authoritative English text of Government Notification No. 7-2/74-Elec.-II, dated* 19-9-87 *is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

## ELECTION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla*-171 002, *the* 19*th September*, 1987

**No. 7-2/74-Elec-II.**—In exercise of the powers conferred under section 163 read with section 187 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following draft rules and the same are hereby published in the Official Gazette for the information of the general public and a notice is hereby given that these draf rules willtbe taken into consideration after 30 days from the date of their publication in the Official Gazette.

If any person affected thereby desires to raise any objection(s) or has any suggestion(s) regarding these draft rules, he can send the same to the Secretary (Elections) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, before the expiry of the above period. The objections or suggestions, if any, so received, will be taken into consideration before finalizing these draft rules.

## DRAFT RULES

### PART-I

### PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayat Samitis Chairman and Vice-Chairman (Elections) Rules, 1987.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context,—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968;

(*b*) "costs" means all costs, charges and expenses of, or incidential to a trial of an election petition;

(*c*) "candidate" means a person who has been or claims to have been duly nominated as a candidate at an election;

(*d*) "Director of Elections (Local Bodies)" means a person who is appointed by the State Government to perform the functions of Director of Elections (Local Bodies) to carry out the purposes of these rules;

(*e*) "election" means an election to fill up the office of the Chairman or the Vice-Chairman of a Panchayat Samiti;

(*f*) "electoral-right" means the right of a person to contest or not to contest as, or to withdraw from being a candidate or to vote or refrain from voting at an election;

(*g*) "form" means the form appended to these rules;

(*h*) "pleader" means any person entitled to appear and plead for another in a civil court and includes an Advocate;

(*i*) "presiding officer" means any officer authorised by the Deputy Commissioner to preside over the meeting to carry out the purposes of these rules; and

(*j*) "prescribed authority" means the Deputy Commissioner of the District and shall include any other officer as may be appointed by notification in the Official Gazette, by the Government to carry out the purposes of these rules.

(2) All other words and expressions used herein but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

### PART-II

### CONDUCT OF ELECTION OF THE CHAIRMAN AND THE VICE-CHAIRMAN

3. *Notice for election.*—After the co-option of the members under clause (*b*) section 63 of the Act, the Deputy Commissioner shall fix date, time and place for holding a meeting to be presided by himself or any other officer authorised by him for the election of the Chairman and

the Vice-Chairman of a Panchayat Samiti by giving a notice of not less than 72 hours to all its primary and co-opted members by its delivery at their ordinary place of residence, after their names are notified in the Official Gazette, in accordance with the provisions of section 68 of the Act. The oath of allegiance shall also be administered to such members present in the meeting who have not taken such oath in earlier meeting fixed for the purpose, before proceeding with the election of the Chairman and the Vice-Chairman.

4. *Quorum for meeting.*—For holding an election of a Chairman and Vice-Chairman in a meeting fixed in this behalf under rule 3, two-thirds of the total number of primary and co-opted members of a Panchayat Samiti shall constitute the quorum:

Provided that if such a meeting is adjourned for want of requisite quorum, the second meeting will be held after giving due notice of 72 hours to all the primary and co-opted members and in such a meeting no quorum shall be required and the election of the Chairman/the Vice-Chairman shall be held.

5. *Procedure for election of the Chairman and Vice-Chairman.*—The Chairman/Vice-Chairman shall be elected by the primary and co-opted members of a Panchayat Samiti from amongst themselves by a secret ballot in the manner prescribed hereunder:—

(*i*) the Presiding Officer shall, after calling the proposals and recording the names of proposers and seconders in the record of proceedings of the meeting prepare a list of contesting candidates in alphabetical order in Hindi in Devnagri script. A copy of the list showing the names of contesting candidates shall be displayed at a conspicuous place where election is to be conducted for the information of the members. The poll shall commence and close at such hours as may be fixed and announced by the Presiding Officer. The ballot papers shall be in Form II and steel ballot box shall be used at such an election;

(*ii*) before issuing the ballot paper to a voters the presiding officer shall put his signatures in full, on the back of ballot paper and proper account thereof shall be kept;

(*iii*) the voter on receipt of the ballot paper shall enter the voting compartment and mark a cross mark (X) against the name of the candidate to whom he intends to vote;

(*iv*) the voter after marking the ballot paper in the manner specified in clause (*iii*) above shall fold the ballot paper so as to conceal his vote and he shall insert the ballot paper into the ballot box and quit the voting compartment;

(*v*) the voter who has used the ballot paper in such a manner that it cannot be treated as a valid ballot paper, he may return the same to the presiding officer with a request to issue another ballot paper and the presiding officer being satisfied shall issue another ballot paper to the voter and mark the returned ballot paper as "Spoiled and Cancelled";

(*vi*) if a voter after obtaining a ballot paper, decides not to use it, he shall return it to the presiding officer and the ballot paper so returned shall be marked as "Returned Cancelled" by the presiding officer; and

(*vii*) all cancelled ballot papers shall be kept in a separate packet by the presiding officer:

Provided that if only one candidate (one for the office of the Chairman and one for the office of the Vice-Chairman) for the office is proposed the presiding officer shall declare such a candidate elected in Form-I and supply a copy of declaration to the elected candidate against proper receipt.

6. *Counting of votes at the election of the Chairman and Vice-Chairman.*—(1) After the voting of the Chairman and the Vice-Chairman is complete, the presiding officer shall allow the candidates present at the time of counting to inspect the ballot box and the seal to satisfy themselves that the same are intact and shall undertake the counting of votes polled for the Chairman.

(2) The presiding officer shall open the ballot box and take out the ballot papers from the ballot box and sort them out candidate-wise.

(3) The presiding officer shall reject a ballot-paper:—

(*a*) if vote is given in favour of more than one candidate; or
(*b*) if it bears any mark or writing by which the elector can be indentified; or
(*c*) if no vote is recorded thereon; or
(*d*) if the mark indicating the vote thereon is placed in such a manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been given; or
(*e*) if it is spurious ballot paper; or
(*f*) if it is so damaged or mutilated that its identity as genuine ballot paper cannot be established.

(4) The presiding officer before rejecting any ballot paper shall allow each candidate present, a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot papers.

(5) The presiding officer shall himself record on every ballot paper which he rejects the letter "R" and the grounds of rejection in brief, with his signatures in full.

(6) All ballot papers rejected under this rule shall be kept in one separate bundle.

(7) After completion of counting of votes in respect of all the contesting candidates, the presiding officer shall compile the result and declare the candidate elected in Form-III for the office of the Chairman, in whose favour the largest number of votes have been cast, and supply a copy duly signed to the elected candidate against proper receipt:

Provided that if equality of vote is found between the candidates, the presiding officer shall decide the elections by a lot in their presence and the candidate to whom the lot falls shall be considered to have received an additional vote and as such shall be declared elected.

(8) The provisions of sub-rules (1) to (7) of this rule shall apply *mutatis mutandis* in relation to the counting of votes at the election of the Vice-Chairman.

7. *Sealing of records after declaration.*—After the result is declared, presiding officer shall keep candidate-wise valid ballot papers in bundles together with the bundle of rejected ballot papers in a separate packet outside of which the full particulars of such a document shall be recorded and the packets shall be sealed with his seal. All other papers relating to the election shall also be kept in separate packets and particulars of documents shall be recorded thereupon.

8. *Proceedings of the meeting and delivery of election papers.*—(1) After completion of election of the Chairman and Vice-Chairman, the presiding officer shall record the proceedings in proceeding book and shall sign the same.

(2) The presiding officer shall deliver the record relating to the election of the Chairman and the Vice-Chairman of a Panchayat Samiti along with a copy of proceedings duly signed by him, to the Deputy Commissioner or any other officer authorised by him in writing in this behalf.

9. *Notification of election of the Chairman and the Vice-Chairman.*—The Deputy Commissioner after receipt of the proceedings of the meeting and declaration of the result shall notify in the Official Gazette the names of the Chairman and Vice-Chairman of the Panchayat Samiti as required under section 68 of the Act.

**10.** *Holding of second meeting for the election of Chairman and Vice-Chairman* —Within a period of one month from the expiry a period of two and half years from the date on which the election of the Chairman and Vice-Chairman, conducted under rule 3, is notified under sub-section (1) of section 68, the Deputy Commissioner shall fix date, time and place for holding second meeting for the election of Chairman and Vice-Chairman of a Panchayat Samiti as provided under sub-section (3) of section 75 of the Act, and such election shall be conducted in accordance with the procedure laid down in these rules.

**11.** *Casual vacancy* —When a vacancy occurs by death, resignation or removal of the Chairman or Vice-Chairman as the case may be or if he ceases to be a member of the Panchayat Samiti, and a new Chairman or Vice-Chairman is to be elected in his place, such election shall be conducted in the manner prescribed in rules 3 to 9 of these rules.

**12.** *Superintendence, control and direction.*—(1) The elections of Panchayat Samiti shall be conducted under the superintendence and control of the Director of Elections (Local Bodies) and he may issue such directions as he may be necessary in this behalf.

(2) In case there is any doubt or dispute regarding inter-pretation of these rules, the same shall be referred to the Director of Elections (Local Bodies), Himachal Pradesh, and his decision shall be final.

## PART-III

## ELECTION PETITIONS

**13.** *Presentation of election petition.*—(1) An election petition under section 187 of the Act, against the election of a Chairman or a Vice-Chairman of a Panchayat Samiti, may be presented to the Deputy Commissioner within twenty days from the date of announcement of the result of the election.

(2) The petition under sub-rule (1) shall be accompanied by copies of the petition and of its enclosures equal to the number of respondents.

**14.** *Contents of election petition.*—(1) An election petition shall,—

(*a*) contain concise statement of the material facts on which the petitioner relies; and
(*b*) be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 for the verification of pleadings.

(*c*) Any schedule or annexure to the petition shall also be signed by the petitioner and verified in the same manner as the petition.

**15.** *Security deposit to be made with the petition.*—At the time of or before presenting an election petition, the petitioner shall deposit a sum of Rs. 200/- as security money in the Government treasury or sub-treasury under the appropriate head of account in the name of prescribed authority to whom the petition is presented.

**16.** *Withdrawal of election petition.*—(1) Subject to sub-rule (2), an election petition may be withdrawn only with the leave of the prescribed authority by making an application to him in this behalf:

Provided that no application for withdrawal of an election petition shall be permitted without forefeiting the security deposit in favour of the Panchayat Samiti concerned.

(2) When an application for withdrawal under sub-rule (1) is made, a notice of fixing a date for hearing of the application, shall be given to the parties concerned to the petition and a copy of such notice shall be pasted at the notice board of the offices of the Deputy Commissioner and of the Panchayat Samiti concerned.

17. *Dismissal of election petition.*—If at the time of presentation of the petition, the provisions of section 187 of the Act, or rule 13 or 14 or rule 15 are not complied with the prescribed authority shall dismiss the petition:

Provided that the petition shall not be dismissed without affording the petitioner an opportunity of being heard.

18. *Place and procedure of enquiry.*—(1) The enquiry of the election petition shall be held at a place to be fixed by the prescribed authority and notice of the time and place of such enquiry shall be given to the parties, not less than seven days before the date fixed for the first day of hearing.

(2) Every election petition shall be tried by the prescribed authority as expeditiously as possible in accordance with the procedure laid down under the Code of Civil Procedure, 1908 for trial of suits.

19. *Grounds for setting aside elections.*—If the prescribed authority is of the opinion:—

(*a*) that on the date of his election the elected person was not qualified, or was disqualified to be elected under the Act; or

(*b*) that the result of the election, in so far as it concerns the elected person, has been materially affected:—

(*i*) by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void;

(*ii*) by any non-compliance with the provisions of the Act or any rules made thereunder,

he shall set aside the election of the elected person.

20. *Abatement of election petition.*—If, before the conclusion of the enqiury of an election petition, the petitioner or respondent dies, the election petition shall abate, the prescribed authority shall cause notice of such event to be published by being pasted on the notice board of the office of the Deputy Commissioner and the office of the Panchayat Samiti.

21. *Fresh election to be held, if an election is declared void.*—When as a result of enquiry under these rules, the election of a candidate is declared void, the State Government shall direct that a fresh election shall be conducted in accordance with the provisions of these rules.

22. *Repeal and saving.*—The Himachal Pradesh Panchayat Samiti (Election) Rules, 1973 are hereby repealed:

Provided that any direction given or order made or action taken under the rules so repealed shall, so far it is not inconsistant with the provisions of these rules, be deemed to have given, made and taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM I

[*See* rule 5 (*vii*)]

DECLARATION OF RESULT WHEN SEAT IS UN-CONTESTED

Election for the office of the Chairman/Vice-Chairman of Panchayat Samiti.....

In pursuance of the provisions contained in clause (*vii*) of rule 5 of the Himachal Pradesh Panchayat Samiti Chairman and Vice-Chairman (Elections) Rules, 1987.

I declare that (Name).....

(Address).....has been duly elected as Chairman/

Vice-Chairman of.....Panchayat Samiti.

(Signature) of.....
Officer, presiding the meeting.

Place.....

Date.....

---

FORM II

[*See* rule 5 (*i*)]

BALLOT PAPER

Panchayat Samiti.....

Election for the office of.....

| Sr. No. | Name of candidate | For mark (X) by voter |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. etc. | | |

FORM III
[*See* rule 6 (7)]

DECLARATION OF RESULT AND RETURN OF ELECTION FOR THE OFFICE OF CHAIRMAN/VICE-CHAIRMAN OF.....
.....PANCHAYAT SAMITI

| Sl. No. | Name of candidate | Number of valid votes polled |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

Total number of valid votes polled:

Total number of rejected votes:

I declare that..... (Name) of.....(Address) has been duly elected to fill up the seat of Chairman/Vice-Chairman.....Panchayat Samiti.

(Signature).....
Presiding Officer.

Place.....

Date.....

FORM IV
[*See* rule 14(1)]

AFFIDAVIT

I.....(give here the full name and address) the petitioner in the accompanying election petition calling in question the election of Shri..... as Chairman/Vice-Chairman of.....Panchayat Samiti,..... .....District, do hereby solemnly affirm and declare that the statements made in paragraphs.....of the accompanying election petition and in paragraphs.....of the schedule annexed thereto are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of deponent.

Solemnly affirmed/sworn by Shri/Shrimati..... ....at this.....day of.....198

Place.....

Before me

Date.....

Magistrate/Oath Commissioner/
Notary Public.

## OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SIRMAUR DISTRICT, NAHAN

### NOTIFICATION

*Nahan, the 17th September*, 1987

**No. CS. 34-690/77-VII-4590-4652.**—In continuation of this office notification No. CS. 34-690/77-VII-2925-90, dated 11-6-87 and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3(1) (*e*) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Ashok Thakur, H.A.S., Distt. Magistrate, Sirmaur district, Nahan do hereby order that the retailsale rates of various commodities so fixed *vide* notification referred to above shall continue to remain in force for a further period of two months from the date of its publication in the H.P. Govt. Rajpatra.

ASHOK THAKUR,
*District Magistrate Sirmaur.*

---

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)

संशोधन

ऊना, 10 सितम्बर, 1987

संख्या एफ० डी० एस०–ऊना 6-1136/82 (भाग-2).—इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या एफ० डी० एस०–ऊना–6/1136/82-4455-4501, दिनांक 21-7-1987 द्वारा जारी की गई अधिसूचना में दर्शाई गई दिनांक 21-7-1987 के स्थान पर 21-8-1987 पढ़ा जाए। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के तुरन्त बाद समस्त ऊना जिला में लागू होगी तथा उससे 30 दिन बाद तक के लिए लागू रहेगी।

राजमणि त्रिपाठी,
जिला दण्डाधिकारी ऊना, जिला ऊना।

---

## OFFICE OF THE DISTRICT FOOD AND SUPPLIES CONTROLLER, KINNAUR DISTRICT

### NOTIFICATION

*Kalpa, the 17th September*, 1987,

**No. KNR-FDS (E) 12/82-III-4285-4334.**—In exercise of the powers conferred upon me under clause 3 (1) (*e*) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Prem Kumar, District Magistrate, Kinnaur district do hereby order that the rates fixed *vide* notification No. FDS-KNR (E) 12/82-2397-2445, dated 30-5-87 and published in the H.P. Rajpatra on 20-8-87 shall remain in force for a further period of two months *i. e.* upto 20-11-1987.

These orders shall come into force with immediate effect.

PREM KUMAR,
*District Magistrate, Kinnaur.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।